

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 12/2015 अ0फो0

संस्थित दिनांक 06.08.2013

अमरसिंह पुत्र मानसिंह जाति जाट ठाकुर, उम्र
37 वर्ष, निवासी ग्राम निवरौल थाना गोहद,
जिला भिण्ड म0प्र0

-----अपीलान्त

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद, जिला
भिण्ड म0प्र0

-----रिस्पोंडेंट

आरोपी/अपीलार्थी द्वारा श्री ऊदलसिंह गुर्जर अधिवक्ता।
राज्य शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर।

न्यायालय श्री एस0के0 तिवारी, जे0एम0एफ0सी0 गोहद द्वारा दाण्डिक
प्रकरण क्रमांक 795/2007 में पारित निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 10.07.
2013 से उत्पन्न दाण्डिक अपील क्रमांक 12/2015

—:: नि र्ण य ::—

// आज दिनांक 29-09-2016 को खुले न्यायालय में घोषित //

01. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा 374 द0प्र0सं0 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री संतोष तिवारी द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 795/2007 निर्णय दिनांक 10.07.2013 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-बी)(क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 10.11.2007 को पुलिस थाना गोहद के प्र0आर0 बिहारीलाल गर्ग रोजनामचा सान्हा क्रमांक 344/07 की तस्दीक करने हेतु प्रा0आर0 मुन्नीलाल, प्र0आर0 गंगासिंह, प्र0आर0 नरेन्द्रपालसिंह के साथ ग्राम निवरौल गये, वहाँ पर आरोपी अमरसिंह पुत्र मानसिंह जाट निवासी निवरौल की जामा तलाशी लेने पर एक कट्टा 315 बोर का मय जिंदा राउण्ड के मिला उससे उक्त कट्टे के संबंध में लाइसेंस चाहा गया तो उसने नहीं होना बताया। आरोपी स कट्टा व कारतूस जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध होना पाए जाने से थाना बापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 195/07 पंजीबद्ध किया गया और सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 25(1)(1-बी)(क) आयुध अधिनियम के संबंध में अपराध पाए जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 10.07.2013 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपी को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दण्डित किया गया।

05. अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दण्डाज्ञा प्रतिपादित सिद्धांतों व रिकार्ड के विपरीत है। अभियोजन के द्वारा प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराने में गंभीर त्रुटि की है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं विसंगतियाँ आई है तथा जप्तीपत्रक पर शील नमूना आदि की छाप भी नहीं लगाई गई है जिससे जप्ती की कार्यवाही भी संदिग्ध है। अभियोजन साक्षी अरविंद अ0सा0 1 एवं गुड्डू उर्फ धर्मेन्द्र अ0सा0 3 पक्षद्रोही रहे है उनके द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मात्र पुलिस साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपराध प्रमाणित माना है जो कि उचित न होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी दशा में आरोपी को दोषसिद्ध दण्डादेश को अपास्त करते हुए दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध

दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 10.07.2013 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार:-::

08. अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि प्रकरण जो कि जप्ती की कार्यवाही अभियोजन के द्वारा की जानी बताई जा रही है। जप्ती की कार्यवाही का कोई भी समर्थन किसी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा नहीं किया गया है। घटना दिनांक को थाने से घटनास्थल पर रवानगी के संबंध में रवानगी का रोजनामचा सान्हा प्रमाणित नहीं कराया गया है। मात्र जप्तीकर्ता अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के कथन को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया गया है। जप्तशुदा बताई गई वस्तु को शीलबंद किया गया हो ऐसा भी कहीं प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र न्यायालय में पेश कर आर्टिकल डाला जाना भी प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराए जाने में वैधानिक भूल की है।

09. प्र0आर0 बिहारीलाल अ0सा0 2 जो कि दिनांक 10.11.2007 को थाना गोहद में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ होना बताते हुए उक्त दिनांक को ग्राम निवरौल पहुँचना और वहाँ पहुँचने पर आरोपी अमरसिंह व रामबाबू के मध्य झगडा चलना और आरोपी अमरसिंह की तलाशी ली तो उसकी जेब में 315 बोर का कट्टा व एक राउण्ड मिलना और लाइसेंस के बारे में पूछे जाने पर लाइसेंस न होना बताया था। 315 बोर के कट्टा और एक राउण्ड को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है और आरोपी अमरसिंह के विरुद्ध धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 3 लेखबद्ध की थी।

10. उपरोक्त संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी गंगासिंह भदौरिया अ0सा0 6 के द्वारा तत्कालीन प्र0आर0 पुलिस थाना गोहद में टेलीफोन पर प्र0आर0 बिहारीलाल के पास सूचना आई थी कि निवरौल में सुरेन्द्र के मकान के पीछे झगडा हुआ है।

वह मौके पर पहुँचा तो वहाँ देखा कि सुरेन्द्र सिंह के मकान के सामने तिराहे पर झगडा हो रहा था जो कि वर्तमान आरोपी अमरसिंह और केशवसिंह दोनों में झगडा हो रहा था। उनको समझाया गया, किन्तु वह नहीं माने और एक दूसरे की मारपीट कर रहे थे। उन्हें धारा 151 सी.आर.पी.सी. के तहत गिरफ्तार कर तलाशी ली तो आरोपी अमरसिंह के बाईं तरफ पेंट की साइड के नीचे 315 बोर का कट्टा मिला जिसके चेम्बर में कारतूस लगा हुआ था। उससे कट्टा व राउण्ड रखने के बारे में लाइसेंस पूछा गया तो उसके द्वारा लाइसेंस न होना बताया था। आरोपी को बिहारीलाल के द्वारा गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया।

11. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षीगण जो कि आरोपी से अग्नेयशस्त्र की जप्ती तथा उसकी गिरफ्तारी से संबंधित साक्षी अरविंदसिंह अ0सा0 1 एवं गुड्डी उर्फ धर्मेन्द्र अ0सा0 3 के द्वारा आरोपी से किसी प्रकार की कोई जप्ती होने के तथ्य का कोई समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी पक्षद्रोही रहे हैं, उनके द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है।

12. साक्षी मुन्नीलाल मौर्य जिन्होंने कि विवेचना के दौरान साक्षी गुड्डू उर्फ धर्मेन्द्र, अरविंद तथा गंगासिंह के कथन लेखबद्ध करना बताया है। आरक्षक राजकिशोर अ0सा0 5 के द्वारा जप्तशुदा कट्टे को परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसे 315 बोर का देशी कट्टा होना एवं 315 बोर के जिंदा राउण्ड को चालू हालत में होना पाया था और इस संबंध में रिपोर्ट प्र.पी. 5 तैयार करना और उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। इस प्रकार उक्त साक्षी घटना से संबंधित साक्षी नहीं है।

13. साक्षी मनोज जैन अ0सा0 7 जो कि अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति से संबंधित साक्षी है के द्वारा तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति के बारे में बताया है जो कि स्वीकृति प्र.पी. 6 के ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी सोहिल अली के हस्ताक्षर होना बताया है तथा बी से बी भाग पर अपने लघु हस्ताक्षर होना बताया है।

14. आरोपी के द्वारा उसे घटना में झूठा लिप्त किया जाना अभिकथित किया है। अब इस संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य के संबंध में साक्षियों के प्रतिपरीक्षण उपरांत आए हुए कथनों पर विचार करते हुए एवं साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया जाना उचित होगा।

15. सर्वप्रथम आरोपी अमरसिंह से अग्नेयशस्त्र की जप्ती होने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त जप्ती की कार्यवाही प्र0आर0 बिहारीलाल के द्वारा की जानी बताई गई है। साक्षी बिहारीलाल के प्रतिपरीक्षण में यह बात आई है कि वह नहीं बता सकता है कि थाने से निवरोल के लिए कितने बेज रवाना हुए थे। जब थाने से गए थे

तो रोजनामचा सान्हा में रिपोर्ट डालकर गए थे, किन्तु प्रकरण में रवानगी के संबंध में कोई भी रोजनामचा सान्हा की नकल पेश व प्रमाणित नहीं कराया गया है जिससे कि रवानगी के संबंध में बताए गए तथ्य की पुष्टि होती हो। साक्षी यह बताया रहा है कि आरोपी अमरसिंह के द्वारा ही सूचना दी गई थी और अमरसिंह और रामबाबू का झगडा हो रहा था जिसकी टेलीफोन पर सूचना मिलने पर गया था। साक्षी के द्वारा कंडिका 2 में यह बताया है कि उसे ध्यान नहीं है कि अमरसिंह से कट्टा किसने बरामद किया था और यह भी ध्यान नहीं है कि उसने या उसके साथ गए आरक्षक ने कोई तलाशी दी थी या नहीं और यह भी ध्यान नहीं है कि आरोपी पुलिस देखकर घटनास्थल पर खडा रहा था अथवा भाग गया था। साक्षी के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि उसने घटनास्थल पर मात्र अमरसिंह से कट्टा बरामद किया था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि गंगासिंह भदौरिया जो कि जप्तीकर्ता अधिकारी के साथ गया था उसके द्वारा अमरसिंह और केशवसिंह के मध्य झगडा होना और एक दूसरे की मारपीट करना बताया है।

16. यह उल्लेखनीय है कि साक्षी बिहारीलाल जो कि जप्तीकर्ता अधिकारी है उसे इस बात का ध्यान न होना बता रहा है कि अमरसिंह से कट्टा किसने बरामद किया था और यह भी ध्यान न होना बता रहा है कि वह पुलिस को देखकर घटनास्थल पर खडा रहा था अथवा भाग गया था। इस संबंध में घटना के समय मौजूद बताए गए अन्य पुलिस अधिकारी गंगासिंह अ0सा0 6 जो कि घटना के समय जप्तीकर्ता अधिकारी के साथ घटनास्थल पर जाना बता रहा है। उसके द्वारा थाने पर कोई भी सूचना ग्राम निवरौल में झगडा होने के संबंध में न मिलना बता रहा है और यह बताया है कि वह लोग गस्त के लिए निकले थे, जो कि साढे सात बजे वह लोग थाने से गस्त के लिए निकले थे। जबकि इस संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी बिहारीलाल के द्वारा सूचना 20:00 बजे अर्थात् 08 बजे मिलना और सूचना मिलने पर ग्राम निवरौल के लिए रवाना होना बता रहा है। इस प्रकार घटना के संबंध में सूचना मिलने तथा घटनास्थल पर रवानगी के संबंध में साक्षियों के कथनों में तात्त्विक विरोधाभास है। निश्चित तौर से जबकि रवानगी के संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा पेश कर प्रमाणित नहीं कराया गया है, इस संबंध में साक्षियों के कथनों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह उठता है। इस परिप्रेक्ष्य में जप्तीकर्ता अधिकारी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में आए हुए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उसके द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही को प्रमाणित माना जाना सुरक्षित नहीं है।

17. आरोपी से अग्नेयशस्त्र की जप्ती के संबंध में अभियोजन के द्वारा जप्ती के स्वतंत्र साक्षीगण अरविंदसिंह अ0सा0 1 एवं गुड्डू उर्फ धर्मेन्द्र सिंह अ0सा0 3 के द्वारा जप्ती की कार्यवाही के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन नहीं किया गया है, जबकि उक्त साक्षीगण घटनास्थल पर मौजूद होना बताए गए हैं। उक्त साक्षीगण के द्वारा आरोपी से

हितबद्ध होकर उसे बचाने के लिए अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया जा रहा हो ऐसा भी दर्शित नहीं होता है।

18. साक्षी गंगासिंह भदौरिया अ0सा0 6 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी यह बता रहा है कि आरोपी की तलाशी उसके अथवा बिहारीलाल के द्वारा नहीं ली गई थी, बल्कि मुन्नीलाल के द्वारा आरोपी की तलाशी ली गई थी और इस बात का ध्यान न होना कि उन्होंने अपनी तलाशी किसी को दी थी अथवा नहीं बताया है। ऐसी दशा में जबकि साक्षी उसके द्वारा कोई तलाशी न लेना अभिकथित कर रहा है तथा घटनास्थल पर खानगी के संबंध में वह घटनास्थल पर पहुँचने के बारे में भी उसके व जप्तीकर्ता अधिकारी के कथनों में विरोधाभास है और इस संबंध में कोई रोजनामचा पेश व प्रामाणित नहीं कराया गया है। साक्षी गंगासिंह जप्ती पत्रक व गिरफ्तारी का साक्षी भी नहीं है। उक्त साक्षी गंगासिंह के कथन के आधार पर जप्ती की कार्यवाही प्रामाणित नहीं मानी जा सकती।

19. यह भी उल्लेखनीय है कि कथित जप्तशुदा कट्टा एवं कारतूस साक्ष्य के दौरान जप्तीकर्ता अधिकारी या साक्षियों को दिखाकर आर्टिकल भी नहीं डाला गया है जिससे कि वास्तव में उक्त जप्तशुदा वस्तु जप्त की गई है इसकी पुष्टि होती हो। घटनास्थल पर कथित रूप से जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र शीलबंद किया गया हो अथवा उसमें शील नमूना लगाया गया हो ऐसा भी कहीं प्रामाणित नहीं होता है। इस संबंध में **कोले बाबू वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. (4) एम.पी.एच.टी 397** में माननीय न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जप्त आर्टिकल को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करने से अभियोजन कहानी उसके महत्व को खो देती है।

20. अभियोजन के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि पुलिस अधिकारियों के कथन को विश्वसनीय मानते हुए प्रकरण को प्रामाणित माना जा सकता है। मात्र इस आधार पर कि साक्षी पुलिस अधिकारी है उसके कथनों को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि मात्र इस आधार पर कि साक्षी पुलिस अधिकारी है उसके साक्ष्य को मान्य नहीं किया जा सकता है, किन्तु निश्चित रूप से अभियोजन को अपना प्रकरण संदेह से परे प्रामाणित करना होता है और पुलिस अधिकारी के द्वारा की कार्यवाही समुचित एवं युक्तियुक्त रूप से की गई है और उस पर कोई संदेह का आधार न हो तभी उसे विश्वसनीय माना जा सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **सन्सपालसिंह वि0 स्टेट ऑफ दिल्ली 1999 सी.आर.एल.जे. 19 एवं दौलतराम वि0 स्टेट ऑफ हरियाणा 1995 सी.आर.एल.जे.** उल्लेखनीय है जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मात्र जप्तीकर्ता अधिकारी के कथन के आधार पर जबकि स्वतंत्र साक्षी मौजूद थे और उनके कथन नहीं कराए गए हैं,

मात्र इस आधार पर जप्ती का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के द्वारा जप्ती के साक्षियों का कथन कराया गया है, किन्तु जप्ती के साक्षियों के द्वारा जप्ती की कार्यवाही का कोई भी समर्थन नहीं किया गया है। जप्तीकर्ता अधिकारी के कथन के संबंध में पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि मात्र उनके कथन पर विश्वास किया जाना सुरक्षित नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी से कथित रूप से की गई जप्ती का तथ्य युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं होता है।

21. इस प्रकार विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई सम्पूर्ण साक्ष्य पर उचित रूप से विचार एवं जप्तीकर्ता अधिकारी के कथन की सम्युष्टि हुए बिना प्रश्नाधीन दोषसिद्ध एवं दण्डादेश पारित किया गया है, जबकि वास्तव में आरोपी से अवैध अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य आई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध ठहराकर दण्डित किये जाने का जो आदेश दिया गया है, वह आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

22. परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.07.2013 जिसमें कि आरोपी को धारा 25(1)(1-बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप हेतु दोषसिद्ध ठहराकर उसे दंडित किये जाने का आदेश दिया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य न होने से अपास्त किया जाकर आरोपी को धारा 25(1)(1-बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी के द्वारा जमा कराई गई अर्थदण्ड की राशि अपील अवधि पश्चात् उसे वापस की जाए।

23. जप्तशुदा आयुध के संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा आदेश यथावत रखा जाता है।

24. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड